182

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. COURT 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

नि -1959- II-16

प्र0क0 -दो/2016 निगरानी

श्री .... द्वारा आज दि. 21-6-16 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती पार्वती (मृतक)पत्नि स्व.रामप्रसाद अडियल

निवासी ग्राम दिनारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी

वारिस

श्रीमती बबीता पत्नि नवाव सिंह पुत्री स्व.रामप्रसाद

निवासी होलीपुरा मोहल्ला , दतिया हाल निवास

ग्राम दिनारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी

---आवेदिका

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर,शिवपुरी

2- अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी

3- तहसीलदार , तहसील करैरा जिला शिवपुरी

---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा - 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959- अनुविभागीय अधिकारी, करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 22/2015-16 बी 121 में पारित आदेश अंतरिम दिनांक 9-2-2016 के विरूद्ध)

कृ0पृ030--2

Ix(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1959-दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24-6-16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 22/2015-16 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 9-2-2016 के विरूद्व म0प्र0भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण सारॉश यह है कि आवेदका की स्वर्गीय मॉ पार्वती पत्नि रामप्रसाद के नाम प्रकरण कमांक 109 अ-19/2081-82 में पारित आदेश दिनांक 7-8-82 से ग्राम दिनारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 444 रकबा 3.59 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का भूमिस्वामी स्वत्व पर पटटा प्रदान किया गया, तदुपरांत महिला पार्वती वाई शासकीय अभिलेख में निरस्तर भूमिस्वामी के रूप मे दर्ज रही। वर्ष 2011-12 में वादग्रस्त भूमि बिना सक्षम आदेश के पटवारी ने शासकीय अभिलेख में पहाड़ नोईय्त दर्ज कर दी , जिसे सुधारे जाने हेतु स्व. महिला पार्वती ने अपने जीवन काल में नायव तहसीलदार करैरा को आवेदन प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार करैरा ने प्र0क0 66/2012-13 अ-6-अ में जांच कर आदेश दिनांक 4-12-13 पारित किया तथा स्व. महिला पार्वती को शासकीय अभिलेख में पूर्ववत् भूमिस्वामी के रूप में अंकित कराया।	

प्र0क्र01959-दो/2016 निगरानी

तहसीलदार करैरा ने प्र0क्र0 5/2015-16 अ-6-अ सहित जॉच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, करैरा को प्रस्तुत किया, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने प्र0क्र0 22/15-16 बी-121 पंजीबद्ध करके आदेश दिनांक 9-2-2016 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर से महिला पार्वती पत्नि रामप्रसाद अडियल के नाम की शासकीय अभिलेख में चली आ रही प्रविष्टि विलोपित करने के आदेश दिये। तदुपरांत महिला पार्वती की मृत्यु हो गई एंव आवेदिका महिला पार्बती की पुत्री होने एंव बसीयतग्रहीता होने के कारण यह निगरानी उसके व्दारा प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय की दायरा पॅजी वर्ष 1981-82 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया गया कि दायरा के सरल क्रमांक सरल क्रमांक 109 पर दायर प्रकरण क्रमांक 109 अ-19/1981-82 में पारित आदेश दिनांक 7-8-82 से ग्राम दिनारा स्थित वादग्रस्त भूमि का पटटा महिला पार्वती पत्नि रामप्रसाद अड़ियल के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर प्रदान किया गया है, उसके वाद से शासकीय अभिलेख में महिला पार्वती निरन्तर भूमिस्वामी दर्ज चली आई, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने आदेश दिनांक 9-2-16 पारित करते समय दायरा रजिस्टर के

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1959–दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	सम्बन्ध में विवेचना नहीं की है एंव दायरा रजिस्टर की प्रविष्टि सही है अथवा गलत है , अभिलेख के अवलोक किये बिना आदेश पारित किया है जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने वास्तविक स्थिति नजरन्दाज कर आदेश पारित किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।	
	5/ अनुविभागीय अधिकारी करैरा के आदेश दिनांक 9-2-16 में आये तथ्यों अनुसार उन्होंने प्रकरण कमांक 22/15-16 बी 121 तहसीलदार करैरा के प्र0क0 5/15-16 अ-6-अ के आधार पर दायर किया है एंव महिला पार्वती के हित में प्रकरण कमांक 109 अ-19/1981-82 में हुये पटटा आदेश दिनांक 7-8-82 का उल्लेख किये बिना पटटे की भूमि पर से उसका नाम विलोपित करने का निर्णय लिया है। विचार योग्य है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी करैरा को नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 109 अ-19/ 1981-82 से दिये गये पटटा आदेश दिनांक 7-8-82 के लगभग 34 वर्ष वाद पटटे को निरस्त करने के लिये स्वमेव निगरानी की शक्तियाँ प्राप्त हैं एंव नायव तहसीलदार करैरा के प्र0क0 66/2012-13 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 4-12-13 से स्व. महिला पार्वती को	

शासकीय अभिलेख में पूर्ववत् भूमिस्वामी के रूप में दर्ज कराने वावत् दिये गये आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने की अधिकारिता प्राप्त है ?

1. बबीतारानी बनाम भगवतीवाई 2006 (2) म0प्र0लॉ0ज0 45 (म.प्र.) में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने की अवधि का अवसान हो गया था। इस अवधि के अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व में ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि इस मूल्यवान अधिकार में आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
2. याची व्दारा 2 हैक्टर भूमि आवंटन में प्राप्त कर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त किया, 13-14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की गई। म0प्र0 उच्च न्यायालय व्दारा अभिमत दिया गया कि प्रत्यर्थी क. 1, 2 को पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने निर्णय देने में त्रृटि की है। काशीराम विरूद्ध हरीराम 2008(1) **MPLJ 282 (M.P.)= 2008 (1) M.P.H.T. 170**
3. स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियॉ युक्तियुक्त समय में ही प्रयुक्त की जा सकती हैं । भूमि का पटटा दिया गया। उस पर भवन का निर्माण किया गया, 10 वर्ष पश्चात पटटा रदद् किया जाना तर्क संगत नहीं है किसी मामले में एक वर्ष का समय भी अयुक्तियुक्त हो सकता है। (सीताराम विरूद्ध म0प्र0राज्य 1999 रा0नि0 82 हाई कोर्ट से अनुसरित)

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1959-दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर

1. म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 - धारा-50 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 - तहसीलदार/नायव तहसीलदार व्दारा पारित भूमि आबंटन आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी को स्वमेव निगरानी की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है।
2. म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 - धारा-50- तहसीलदार व्दारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन आदेश पारित - अनुविभागीय अधिकारी को स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश को निरस्त करने की शक्तियॉ प्राप्त नहीं है।

अतएव अनुविभागीय अधिकारी, करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 22/2015-16 बी 121 में पारित आदेश दिनॉक 9-2-2016 अधिकारिता-विहीन होने से शून्यवत् है जिसे निरस्त करना न्यायदान के लिये आवश्यक है।

6/ आवेदिका के अभिभाषक के अनुसार पटटा प्राप्ति वर्ष 1982 के वाद आवेदिका ने काफी धन, श्रम व्यय करके वादग्रस्त भूमि को काविलकास्त बनाया है एंव सिंचाई का साधन करके खेती करते हुये अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। वर्तमान आवेदिका स्व0 महिला पार्वती की पुत्री होकर बसीयतग्रहीता है जो

माँ के समय से खेती करती आ रही है एंव वर्तमान में भी खेती करेगी। यदि आवेदिका से वादग्रस्त भूमि छीन ली गई, तो उसके परिवार के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो जावेगा।

आवेदिका के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर यदि मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -

1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती - क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियाँ की गई - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आबंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।
2. देवी प्रसाद विरुद्ध नाके 1975 **J.L.J. 155= 1975 R.N. 67 = 1975 R.N. 208** में निर्धारित किया गया है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिती को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्ध नहीं किया जा सकता।

स्व0 महिला पार्वती को वादग्रस्त भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 7-8-82 से अर्थात आज से 34 वर्ष पूर्व हुआ है , परन्तु अनुवभागीय अधिकारी करैरा ने आदेश दिनांक 9-2-16 पारित करते समय इन तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 22/2015-16 बी 121 में पारित आदेश

XIx(a)BR(H)-11

-8-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1959–दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	दिनांक 9–2–2016 अधिकारिता–विहीन एंव त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। महिला पार्वती पत्नि रामप्रसाद अड़ियल का दिनांक 30–4–16 को निधन हो जाने से एकमात्र निगरानीकर्ता एंव बसीयतग्रहीता पुत्री आवेदिका श्रीमती बबीता पत्नि नवाव सिंह का नाम ग्राम दिनारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 444 रकबा 3.59 हैक्टर पर भूमिस्वामी के रूप में शासकीय अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सदस्य	